दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 62 ❑ अंक-16 ❑ दिल्ली ❑ मई (द्वितीय) 2024 ❑ मूल्य : 2 रु.

डा. अम्बेडकर मिशन आगे बढ़ेगा तो दलित समाज भी आगे बढ़ेगा

• डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक विषमताओं के खिलाफ विद्रोह किया। वह मनुष्य को केन्द्र बिन्दु मानकर समता, बन्धुता और मैत्री का मूल्य मानकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्हें सफलता मिली और उनके राजा– महाराजा, सामन्ती वर्ग उनके अनुयायी बने गये, पर समाज का उपेक्षित अछूत वर्ग उनके इस आन्दोलन से अप्रभावित रहा। महात्मा बुद्ध के बाद इस उपेक्षित अछूत वर्ग को समाज में समता व सम्मान दिलाने के लिए गुरु रविदास एवं सद्गुरु कबीर ने मनुवादी वर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए आवाज बुलन्द की। इससे ब्राह्मणवाद पर प्रहार तो हुआ, पर शासन–प्रशासन पर राजा–महाराजा और सवर्णों का सीधा नियंत्रण होने के कारण उनके सामाजिक आन्दोलन को सन्तों का उद्घोष कहकर कमजोर कर दिया गया। इसके बाद अठारहवीं सदी में उपेक्षित समाज में जन्मे महात्मा जोतिबा फुले ने धार्मिक ग्रन्थों व वर्ण व्यवस्था को नकारा और सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग की। उन्होंने ब्राह्मणवादी नियमों को ठुकराते हुए स्त्री व दलित अछूतों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, विधवा विवाहों को प्रोत्साहित किया और गुलामगीरी को महान अपराध बताया। महात्मा जोतिबा फुले से प्रेरणा लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने प्रशासन में नकारे गये इस उपेक्षित अछूत वर्ग को सम्मान देने और समाज में समानता के स्तर पर लाने के लिए 1902 में सबसे पहले सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे की व्यवस्था की। समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की इस प्रक्रिया को बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने और आगे बढ़ाया।

इंग्लैंड से ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने भारत के अछूतों की दशा जानने के लिए 'साइमन कमीशन' को मई, 1928 को भारत भेजा। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की समस्याओं से सम्बन्धित एक मांग पत्र इस 'साइमन कमीशन' को सौंपते हुए उन्हें चुनावों में वोट देने के अधिकार के साथ–साथ शासन–प्रशासन व शिक्षण संस्थानों में 'आरक्षण कोटा' लागू करने की मांग की थी।

इस 'साइमन कमीशन' की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के अछूतों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 17–30 नवम्बर, 1930 में इंग्लैंड में 'राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस' का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर तथा सवर्ण हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर तो इस कान्फ्रेंस में इंग्लैंड पहुंचे, पर गांधी जी इस कान्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में ही दूसरी 'राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस' 15–29 अगस्त, 1931 में आयोजित की। इस कान्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। गांधी जी ने बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को भारत के दलित अछूतों का प्रतिनिधि मानने से इन्कार करते हुए कहा–"मैं समस्त भारत के हिन्दुओं का प्रतिनिधि हूं। चूंकि अछूत (शूद्र) हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था के अंग हैं, अतः वे हिन्दू हैं। इसलिए मैं इन अछूतों का भी प्रतिनिधि हूं। फिर अम्बेडकर दलितों के कैसे प्रतिनिधि हुए? इसलिए उन्हें दलितों का प्रतिनिधि न मानकर उन्हें 'कान्फ्रेंस' में उनका पक्ष रखने का अधिकार न दिया जाये।" गांधी जी के भाषण के बाद उस दिन कार्रवाई खत्म हो गई।

कान्फ्रेंस में अगले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़े होकर कहा कि कल गांधी जी ने मुझे भारत के अछूतों का प्रतिनिधि होने को चुनौती दी थी। मैं उनकी चुनौती को स्वीकारते हुए कहना चाहूंगा कि मुझे भारत से अछूत नेताओं के ये 30–31 'केबल' (तार) मिले हैं। ये सब भारत के विभिन्न प्रान्तों से आये हैं जहां मैं कभी गया ही नहीं हूं और न इन तार भेजने वाले दलित नेताओं से कभी मिला हूं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सम्पादकीय

दलित शब्द और दलित साहित्य

• डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

'दलित' शब्द मूल नहीं है, यह अपनी परिभाषा स्वयं उद्‌भाषित करता है। दलित वह है जिसका दलन किया गया हो, शोषण किया गया हो, उत्पीड़न किया हो। उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, बाधित और पीड़ित व्यक्ति भी 'दलित' की श्रेणी में आते हैं। इस तरह 'दलित' शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत जहां सदियों से सामाजिक वर्णव्यवस्था और जातिवाद से अभिशप्त दलित, शोषित, उपेक्षित व उत्पीड़ित बन्धानों में बाधित नारी एवं बच्चे भी इस श्रेणी में शामिल हैं। भूमिहीन, अछूत, बंधुआ, दास, गुलाम, दीन और निराश्रित भी 'दलित' ही हैं।

'दलित' शब्द जहां व्यक्ति को अपनी अस्मिता, स्वाभिमान और अपने गौरवमयी इतिहास पर दृष्टिपात करने को बाध्य करता है, वहीं पर अवगति, वर्तमान स्थिति और तिरस्कृत जीवन के विषय में सोचने के लिए विवश करता है। हम कौन थे? क्या थे? क्या हो गये? आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 'दलित' शब्द उत्तर पाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह का 'दलित' शब्द का सम्बन्ध जहां सरस्वती और सिन्धु घाटी की सभ्यता, वहां के निवासी से जुड़ा है, जिन्होंने भारत की धन– सम्पदा के आकर्षण में इस सभ्यता के सृजनकर्ताओं को उजाड़ा, पराजित किया, उनकी संस्कृति, धर्म, साहित्य पर कब्जा किया, अपनाया और उन पर सामाजिक बन्धन थोपकर उन्हें गुलाम बना दिया। शिक्षा ग्रहण करने, धन अर्जित करने और दूसरों से समानता करने के अधिकार पर सदैव के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया। इसीलिए 'दलित' शब्द व्यक्ति को अपने गौरवमयी अतीत की तरफ झांकने के लिए प्रेरित करता है।

'दलित' शब्द सामाजिक असमानता की ओर भी इंगित करता है। एक जैसे डील–डोल वाले, एक जैसे रक्त वाले लोगों में परस्पर ऊंच–नीच, छोटे–बड़े की भावना क्यों है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छुआछूत क्यों करता है? मन्दिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है, पर एक अछूत 'इंसान' मन्दिर में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, क्या कारण है? हम विदेशी, विधर्मी के साथ बैठकर खा सकते हैं, रोटी–बेटी का रिश्ता कर सकते हैं, पर एक 'दलित' स्वधर्मी को पास बैठाने से हिचकिचाते हैं, आखिर क्यों?

'दलित' शब्द इतिहास के उस पहलू पर भी प्रकाश डालता है जिसके कारण हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा? समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने आत्माभिमान और 'अहं' के कारण समाज की असली रीढ़–श्रमजीवी और शिल्पकार वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटकर रख दिया। जिस कारण से क्षत्रियों की शूरवीरता कमजोर पड़ गयी और वे विदेशियों के सामने परास्त होते चले गये। अगर दलितों का सही मूल्यांकन किया होता, उनकी वास्तविक शक्ति का सदुपयोग होता तो भारत कभी विदेशियों का गुलाम नहीं बनता, पर दुःख इस बात का है कि यहां के तथाकथित उच्च वर्ग ने विदेशियों की दासता सहज ही कुबूल कर ली, पर 'दास' बनाये अपने भाइयों को गले लगाना अपनी इज्जत के खिलाफ समझा।

'दलित' शब्द आज 'प्रेरणा' और

(शेष पृष्ठ 3 पर)

डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भारतरत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयन्ती के शुभावसर पर 'डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय अवार्ड–2024' से सम्मानित किये जाने वाले 10 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है। अकादमी की ओर से ये राष्ट्रीय अवार्ड प्रतिवर्ष दलितोत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को दिये जाते हैं।

अकादमी की ओर से 'डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय अवार्ड–2024' के लिए चयनित किये गये नामों की घोषणा करते हुए अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने बताया कि इन महानुभावों को अकादमी के दिल्ली में 8-9 दिसम्बर 2024 को होने वाले 40वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन–2024 में सम्मानित किया जायेगा।

डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय अवार्ड-2024

दलित साहित्य की अभिवृद्धि के लिए

1. **डा. राजमल सिंह 'राज'**
   दलित साहित्यकार, दिल्ली प्रदेश
2. **श्री रमेशचन्द्र चांगेसिया 'प्रभात'**
   दलित साहित्यकार
   उज्जैन (मध्य प्रदेश)
3. **श्री यादकरन 'याद'**
   दलित साहित्यकार
   लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
4. **डा. (श्रीमती) वीना वैगा**
   दलित साहित्यकार
   एम्यार कट्टपा, इडुकी (केरल)

दलित पत्रकारिता अभिवृद्धि के लिए

5. **श्रीमती पी. सुगुना विष्णुमूर्ति**
   सम्पादिका–जन मित्र समाचार पत्र
   अम्बेडकर नगर, यानम
   (पांडिचेरी–यू.टी.)

दलित संस्कृति अभिवृद्धि के लिए

6. **श्री महानन्दा सरकार दत्ता**
   चीफ सेकेट्री–कृष्टी पाथर
   (सेंटर फार लिटेरचर, कल्चर एंड सोशल वेल्फेयर)
   सरथाबारी, बारपेटा (आसाम)

दलितोत्थान – समाज सेवा के लिए

7. **श्री बाबूलाल निर्मल**
   सोशिल एक्टीविस्ट/सोशिल वर्कर
   अटरू, जिला–बारां (राजस्थान)
8. **इन्जी. एन.बी. बिस्वास**
   (रिटा. एस.ई.)
   सोशिल एक्टीविस्ट/सोशिल वर्कर
   ढालेश्वर, अगरतला (त्रिपुरा)
9. **श्री मिर्जा शौकत हुसैन**
   सोशिल एक्टीविस्ट/सोशिल वर्कर
   सूरत (गुजरात)
10. **श्रीमती किरन बाला,** *समाजसेविका*
    पत्नी श्री चमनलाल गाछली
    (एम.एल.ए.) परवाणु, सोलन (हि.प्र.)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे भविष्य में भी बाबा साहब डा. अम्बेडकर व बाबू जगजीवन राम जी के साथ दलित समाज के गुरुओं और महापुरुषों के सामाजिक समता के कारवां को आगे बढ़ाते हुए समग्र दलित समाज की भावी पीढ़ी के लिए आदर्श बने रहेंगे। अकादमी के 40वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन, नई दिल्ली में 8 दिसम्बर, 2024 को उपरोक्त महानुभावों को पुरस्कार में शाल, शील्ड, प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। •

सम्पादकीय का शेष ...दलित शब्द और दलित साहित्य

'विद्रोह' का पर्यायवाची भी है। दलितों को जहां वह उनके गौरवमयी अतीत को दर्शाता है, वहीं वह उन्हें सामाजिक आजादी, समानता और सम्मान के लिए प्रेरित करता है। वह उन शक्तियों के विरुद्ध खुला विद्रोह करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने झूठे सामाजिक नियमों में बांधकर न केवल उनकी 'विवेक शक्ति' को ही नकारा बना दिया बल्कि उनकी सोच को भी सदैव के लिए गुलाम बनाकर रखा।

इस तरह आज 'दलित' शब्द उन बेजुबानों की आवाज है जिनकी जुबान 'वेद मन्त्र' दोहराने पर काट दी गयी, उन लोगों की श्रवण शक्ति है, जिनके कानों में 'वेद मन्त्र' सुनने पर उबलता हुआ शीशा उडेल दिया गया, उन लोगों के हाथ हैं जिन्हें समानता के अधिकार मांगने के अपराध में काट दिया गया और उन लोगों के पांव हैं जिन्हें न्याय की याचना करने के लिए बढ़ने पर कलम कर दिया गया।

'दलित' शब्द आक्रोश, चीख, वेदना, पीड़ा, चुभन, घुटन, छटपटाहट का प्रतीक है। यह उन लोगों की ओर संकेत करता है जो अमानुषिक सामाजिक व्यवस्थाओं में बंधे, अन्याय, चुभन, घुटन और छटपटाहट को अनदेखा कर मनुस्मृति की जालिम न्याय प्रणाली की दुहाई देकर उल्टे उनके रिसते घावों पर नमक–मिर्च छिड़का गया। वे और छटपटाएं, पर धीरे–धीरे भाग्य, भगवान और विधि का विधान मान वे कुण्ठित होकर बैठ गये। यह उन लोगों का प्रतिनिधि है जो सदियों से बंधुआ बने नरकीय जीवन जीते रहे, खून के आंसू पीकर बेबसी में बेगार करते रहे, मां–बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करते देखकर भी आक्रोश को रोके रहे। हर क्षण कदम–कदम पर अत्याचार, अपमान, सहते हुए सब्र का घूंट पीते रहे।

इस तरह 'दलित' शब्द एक इतिहास है, सामाजिक दर्पण है, सर्वहाराओं का चमत्कार है, अस्मत, अस्मिता, असमानता और अनाचार विवेचक है। यह शोषकों, दुराचारियों, अन्यायियों के कुकर्मों को पर्दाफाश करके जहां दलितों, पीड़ितों, दासों और पराधीनों को इनसे स्वतन्त्र होने का आह्वान करता है, वहीं उन्हें समता और सम्मान के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह 'दलित' शब्द सच्चा पथप्रदर्शक ही नहीं, अपितु सच्चा नेता है जो अवनति से प्रगति की ओर ले जाता है और निर्जीवों में संजीवनी फूंकता है।

'दलित' शब्द जब साहित्य के साथ मिल जाता है तो साहित्य को विशिष्टता प्रदान करता है, विशेष अर्थ गौरव से सुशोभित करता है। ऐसे साहित्य को एक पृथक् धारा प्रदान करता है, एक नयी पहचान से परिचित कराता है। 'साहित्य' के साथ 'दलित' शब्द मिलकर वह 15 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधि नहीं रहता, अपितु धरती से जुड़े 85 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधि साहित्य कहलाता है।

दलित साहित्य

दलित साहित्य दलितोत्थान साहित्य यानि वह साहित्य जो दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उपेक्षितों और असहाय वर्ग के उत्थान और नव विकास के लिए प्रेरित करता है, जो एसे व्यक्तियों को उनके गौरवमयी इतिहास से परिचित

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
मेरे साक्षात्कार – मेरा जीवन संघर्ष	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी-3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

मो. 9810278936, 9891989175

कराते हुए उनको उनके मानवीयता की पहचान से अवगत कराता है। यह वह साहित्य है जो धरती से जुड़े लोगों को उनकी समस्या और दुर्दशा से अवगत कराते हुए उनको निराकरण और समाधान के उपाय बताता है।

दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो सभी तरह की वर्ण–व्यवस्था, जाति–पांत, ऊंच–नीच, भेदभाव के दायरे से ऊपर है और जिसे धर्म, भाषा और प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह समाज के सर्वहारा वर्ग के समान निश्छल और सरल है। इसे अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी छन्द, अलंकार आदि की आवश्यकता नहीं। दलन की वेदना, शोषण की कुढ़न, अन्याय का उत्पीड़न और अत्याचार का रुदन, अपमान की पीड़ा अभिव्यक्ति, भाषा और अलंकार नहीं देखती।

दलित साहित्य पुनर्जन्म, भाग्य, भगवान, धर्म, कर्म के सिद्धान्त को नकारता है और व्यक्ति को साधना, आस्था और चिन्तन के प्रति उन्मुख करता है। यह वह साहित्य है जो एक स्वस्थ, उचित, लक्ष्य की ओर मानव समाज में समृद्धि भाव उत्पन्न करता है। यह इंसान को इंसान से तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वह इंसान में इंसान के प्रति भेदभाव, तिरस्कार, अलगाव, घृणा पैदा नहीं करता अपितु उनमें मानव प्रेम, सहिष्णुता, भ्रातृ–भाव पैदा करता है। मानव जीवन में समरसता और समन्वय लाता है।

दलित साहित्य इंसानियत, भेदभाव, छुआछूत, घृणा, नारी शोषण, बंधुआ जीवन, धार्मिक कठमुल्लापन, कर्मकाण्ड, रुढ़िवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुला विद्रोह हैं जो इन्सानियत प्रेमी है, उनकी यह प्रशंसा करता है, जो दलितोत्थान में जुड़े हैं, उनको फूल चढ़ाता है, जो मानव अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, उनका सम्मान करता है और जो दासता और शोषण से मुक्ति दिलाते हैं, उनकी आराधना करता है।

दलित साहित्य 'स्व–अनुभूति' का साहित्य है, भोगे हुए जीवन की दास्तां का साहित्य है। ऐसी स्थिति में दलित, अछूत, मूल निवासी द्रविड़, अनार्य, शूद्र जाति में जन्मे हर व्यक्ति के दलित जीवन की कहानी 'दलित साहित्य' का दस्तावेज है।

विदेशी आर्य तो अकेले ही ईरान से भारत में धन–धरती के लालच में आये थे। उन्होंने रात में धोखे से शान्तिप्रिय, कुशल शिल्पकार विशाल नगरों के सृजनकार यहां के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उनके नगर, धन–सम्पदा पर तो कब्जा किया ही, यहां के मूल निवासियों की महिलाओं को भी बन्धक बनाकर अपनी 'रखैल' बना लिया और उन पर भी घर से बाहर निकलने और शिक्षा ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस तरह देश की सम्पूर्ण सवर्ण महिलाएं भी दलित समाज की धरोहर हैं और उनके बन्दी जीवन की दासता की व्यथा–कथा भी 'दलित साहित्य' का अभिन्न अंग है।

विदेशी आक्रमणकारी आर्यों ने न कोई नगर, शहर बसाये और न ही कोई गांव बसाये। वे तो जंगलों में आश्रम बनाकर रहने के अभ्यस्त थे। देश में जो साढ़े छः लाख गांव हैं, उनको बसाने, उनकी रचना करने और उनका नामकरण करने का श्रेय भी यहां के मूल निवासी अनार्यों को जाता है। इन गांवों में अलग–अलग बोली, भाषा, खान–पान, रहन–सहन, पहनावा, पूजा–पाठ, आस्था, तन्त्र–मन्त्र–टोटके की संस्कृति मूल निवासियों की संस्कृति है जो यहां के लोगीत, लोकोक्ति, मुहावरे, रीति–रिवाज में आज भी जीवित है। अतः देश के ये साढ़े छह लाख गांवों की कहानी की दास्तां भी दलित साहित्य की धरोहर है।

आज यहां स्वयं साहित्यकारों के पास साहित्य में शोध करने के लिए अब कोई विषय नहीं बचा है, वहीं दलित साहित्य के पास साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, धर्म आदि पर शोध करने के लिए दलित लेखकों के लिए एक हजार साल तक शोध सामग्री है। समाज में 80 फीसदी दलित स्त्री–पुरुषों के जीवन की कहानी दलित साहित्य भण्डार को जहां अभिवृद्धि करेगी, वहीं देश के साढ़े छह लाख गांवों के धरोहर की कहानी दलित साहित्य के भण्डार को अपने चहुंमुखी विरासत से सराबोर करने में सक्षम है। बस अब जरूरत है दलित लेखकों को कलम उठाकर अपने अभिशप्त जीवन की कहानी से शुरुआत करने की, अपने भोगे हुए जीवन के घृणित पृष्ठों को खोलने की। देश का प्रत्येक गांव अपने अन्दर अपना इतिहास समाये हुए है।

अतः दलित लेखकों को शोध के लिए शोध–विषय खोजने की जरूरत नहीं है। वह अपनी कलम से लिखना शुरू करें अपने जीवन की कहानी, अपने सामाजिक विषमता से भरे समाज की कहानी, वर्ण–व्यवस्था के दड़बेनुमा गांवों की कहानी इससे नये इतिहास का उदय होगा जिससे दलित साहित्य का सागर लहलहा उठेगा। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक :

हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल,

माडल टाउन-1, दिल्ली-9

मो. 9810278936,

फोन : 011-27421449

पृष्ठ 1 का शेष ...डा. अम्बेडकर मिशन आगे बढ़ेगा तो दलित समाज भी आगे बढ़ेगा

इन 'तार' में उन्होंने लिखा है कि डॉ. अम्बेडकर ही अकेले भारत के अछूतों के प्रतिनिधि हैं। ये 'तार' उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, आदि प्रान्तों से भेजे गये हैं।

वे सभी तार राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष को सौंपते हुए बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने कहा–'जब भारत के अछूतों को भारत के सवर्ण हिन्दुओं की भांति समानता के अधिकार प्राप्त नहीं है तो वे कैसे 'हिन्दू' हो सकते हैं? अछूतों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा–''आज भी अछूतों को सवर्ण हिन्दुओं की तरह विद्यालय में पढ़ने, उनके कुंये, तालाब, पोखर में जाकर पानी भरने, श्मशान घाटों पर अपने मुर्दे जलाने, निर्वाचन में वोट देने का जब बराबर के अधिकार नहीं है तो वे कैसे हिन्दू से सकते हैं? बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने पूछा–''जब एक अछूत के हाथ का छुआ पानी, रोटी या अन्य पदार्थ को सवर्ण हिन्दू लेने व छूने से भी परहेज करते हैं तो वे कैसे 'हिन्दू' हुए? भारत के अछूत मूल निवासी हैं और भारत के असली मालिक हैं। इस देश के हर चीज पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना सवर्ण हिन्दुओं का। जो भारत की धन–सम्पदा व शासन प्रशासन पर अल्पमत में होते हुए भी कब्जा किये बैठे हैं। आपकी अंग्रेजी सरकार जो समता, न्याय, बराबरी में विश्वास करती है, उसने भी अपने सौ–डेढ़ सौ साल के शासन में उनको भी बराबर के अधिकार दिलाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, पर अब समय आ गया है कि उन्हें सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षण संस्थान व नौकरियों में बराबर के अधिकार दिये जायें ताकि वे भी आपकी हुकूमत में रहते हुए इंसानी बराबरी का अधिकार पाकर सुख का जीवन जी सकें।''

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के तर्कों के सामने महात्मा गांधी निरुत्तर हो गये। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दलित अछूतों की दशा सुधारने के लिए 'राउंड टेबुल कान्फ्रेंस' में जो मांग की गई थी, उसी आधार पर अंग्रेजी हुकूमत ने 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की। इसके अन्तर्गत निर्वाचन में अछूतों को दो वोटों का अधिकार दिया गया। एक वोट से वे सवर्ण प्रतिनिधि को चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे अपना दलित प्रतिनिधि चुन सकते थे। इसके अलावा उनको निर्वाचन में 'आरक्षित वार्ड' बनाने तथा सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में उनकी आबादी के अनुपात में 'आरक्षण कोटा' निश्चित करने का अधिकार दिया गया था।

अंग्रेजी सरकार द्वारा दलित अछूतों का सवर्ण हिन्दुओं के बराबरी पर लाने के लिए थे जो 'कम्युनल अवार्ड' के अन्तर्गत अधिकार दिये गये थे, उससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे हिन्दू समाज टूट जायेगा। इसलिए उन्होंने इस 'कम्युनल अवार्ड' के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में, जहां वे नजरबन्द थे, आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इससे सारे देश में खलबली मच गई और बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर पर हिन्दू नेताओं का दबाव पड़ने लगा कि गांधी जी के प्राण बचाने के लिए वह 'कम्युनल अवार्ड' को वापिस कर दें।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के काफी संघर्षों के बाद तो समानता के ये अधिकार दलितों को मिले थे, पर इसके खिलाफ ही गांधी जी ने अपना जीवन दाव पर लगा दिया। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने भारी दबाव के कारण गांधी जी के प्राण बचाने के लिए 'कम्युनल अवार्ड' छोड़ने की घोषणा की। इसकी एवज में 24 सितम्बर, 1932 को गांधी जी व डॉ. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिससे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत अछूतों को निर्वाचन में उनकी आबादी के अनुपात में 'आरक्षित वार्ड' बनाने और आरक्षित सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने तथा शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर गांधी जी की सब चाल समझते थे कि वे इन अछूतों का उत्थान नहीं, बल्कि उन्हें सवर्ण हिन्दुओं का गुलाम बनाये रखना चाहते हैं। इसीलिए उस हिन्दू धर्म को जिसमें अछूतों को जानवरों से भी नीच समझा जाता है, 13 अक्तूबर, 1935 को येवला महासभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा था–''हिन्दू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिन्दू रहकर नहीं मरूंगा।'' अपने इस संकल्प को 14 अक्तूबर, 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने पूरा किया।

बाबा साहब ने अपने दलितों में सत्ता की कुंजी राजनीति में रूझान पैदा करने के लिए 1936 में 'इन्डिपेन्डेट लेबर पार्टी' बनाई। फिर 1942 में 'आल इंडिया शड्यूल्डकास्ट फेडरेशन' बनाई। 30 नवम्बर, 1956 को उन्होंने 'रिपब्लिक पार्टी आफ इंडिया' की स्थापना की। इन पार्टियों के बैनर पर दलितों ने चुनाव लड़कर सत्ता में हिस्सेदारी की।

भारत के आजाद होने पर बाबा साहब को पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री बनाया गया। इसके बाद भारत का संविधान बनाने का काम उन्हें सौंपा गया, जिसे बखूबी निभाते हुए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाकर 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को सौंपा।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिभा के सभी कायल थे, पर राजनीति में उन्हें कोई बढ़ता देखना नहीं चाहता था। 'हिन्दू कोड बिल' को संसद में पारित करने से पं. नेहरू के मुकरने पर 27 अक्तूबर, 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1952 के लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद वे मई, 1954 में मुंबई से राज्यसभा के सदस्य चुनकर संसद में आ गये।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को हिन्दू समाज और हिन्दू राजनेताओं से कदम–कदम पर लोहा लेना पड़ा,

क्योंकि वह चाहते थे कि अछूत दलितों के चहुंमुखी विकास के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ उन्हें आरक्षण कोटे का जो विशेष प्रावधान रखा है, उसका लाभ उन्हें मिले। इसी लक्ष्य हेतु वह दिन–रात कार्यरत रहते थे। और अन्त में 6 दिसम्बर, 1956 को 'बुद्ध एंड हिज धम्म' ग्रन्थ की भूमिका लिखकर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गये।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर दलित समाज के बुद्धिजीवियों से बहुत निराश थे। इसीलिए उन्होंने अपने निजी सचिव श्री नानक चन्द रत्तू से आखिरी क्षणों में कहा था–

मेरे लोगों से कह देना कि मैंने उनके लिए जो कुछ भी हासिल किया है, वह मैंने अकेले ने किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा हूं जिन्होंने अपने स्वार्थ हेतु मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं जहां आज यह दिखाई देता है। यदि मेरे लोग, मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने योग्य नहीं हैं तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है। यही मेरा अंतिम संदेश है। •

बौद्ध समाज एवम् राजनैतिक आरक्षण

शेखर पवार

23 अक्तूबर, 1928 को बौधिसत्व बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने सायमन कमिशन के सम्मुख दलितों के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग की थी और कहा था कि, ''अछूतों का हिंदुओं से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है, तथा अछूतों का स्वतंत्र और अलग अल्पसंख्यक समाज है।'' यही बात बौधिसत्व बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद् में भी कहीं थी और दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मेकाडोल ने 17 अगस्त, 1932 को 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की थी और अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन के अधिकार के तहत कुल 1463 स्थानों में से कुल 71 स्थान अछूतों के लिए प्राप्त हुए थे। लेकिन श्री एम.के. गांधी ने इसके विरोध में पूना की जेल में भूख हड़ताल की। इस विरोध को कम करने हेतु डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा जिसे 'पूना समझौते' के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 24 सितम्बर, 1932 को हुआ था। इसके तहत अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन पद्धति की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी तथा बदले में 69 स्थानों की जगह जनसंख्या के अनुपात में कुल 147 सीटों की प्राप्ति हुई।

15 अगस्त, 1947 को भारत ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजाद हुआ तथा स्वतंत्र भारत में 1952 में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षित स्थानों की प्राप्ति हुई।

बौद्धिसत्व बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 13 अक्तूबर, 1935 में नाशिक जिले के येवला गांव में अछूतों की परिषद में कहा था, ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश की बात नहीं थी। लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे वश की बात है।'' असल में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय समाज की नींव समता, स्वतंत्रता एवम् भाईचारा के सिद्धान्त पर खड़ी करना चाहते थे। उनका उद्देश्य भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करना था और इसी महान उद्देश्य से प्रेरित हो बौद्धिसत्व डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अशोक विजया दशमी के पावन अवसर पर 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर की धर्मदीक्षा भूमि पर लाखों दलित जनता के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।

बौद्धिसत्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अब तक कुल चार बार जनगणना हुई है। 1959 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध जनसंख्या ना के बराबर थी। लेकिन 1969 में बौद्ध जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक की जनसंख्या के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो यह बात स्पष्ट होगी।

बौद्ध जनसंख्या

वर्ष	बौद्ध कुल जनसंख्या
1969	28,89,501
1971	32,64,223
1981	39,46,149
1991	63,09,000

यहां आपको बता दें कि 1961 से लेकर 1981 तक की जनसंख्या के आंकड़े केवल महाराष्ट्र के है तथा 1961 की जनसंख्या के आंकड़े सम्पूर्ण भारत वर्ष के हैं।

01 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था तथा 1962 में आम चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र विधान सभा के अब तक कुल आठ बार आम चुनाव हुए हैं, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

वर्ष	कुल स्थान	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थान
1962	294	33	14
1967	270	16	16
1972	270	15	16
1978	288	18	22
1980	288	18	22
1985	288	18	22
1990	288	18	22
1995	288	18	22

उसी भांति 1962 से लेकर महाराष्ट्र से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों का चुनाव का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

हिमायती
7 / मई (द्वितीय) 2024 (कुल पृष्ठ 4)
प्रकाशन तिथि : 14 मई, 2024

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020

वर्ष	कुल स्थान	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजाति आरक्षित स्थान
1962	45	6	3
1967	45	3	3
1972	45	3	3
1978	47	3	4
1980	48	3	4
1985	48	3	4
1990	48	3	4
1995	48	3	4

महाराष्ट्र विधान सभा एवम् लोकसभा चुनावों की 1962 तथा 1967 को स्थिति का हम अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र विधान सभा 1962 के चुनाव के समय कुल सीटें 264 थी तथा उनमें कुल 33 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं परंतु 1967 के चुनाव के समय कुल सीटें बढ़कर 270 होने पर भी अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 33 से घटकर मात्र 15 रह गयी थी।

उसी भांति लोकसभा की कुल आरक्षित सीटें महाराष्ट्र में 1962 के चुनाव में 6 थी परन्तु 1967 के चुनाव में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें घटकर मात्र 13 रह गयी थीं। मतलब पचास फीसदी आरक्षण में कटौती हो गयी थी और यह सब अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा 1956 में हुए धर्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ था। दलितों ने धर्म परिवर्तन कर 1969 की जनगणना में धर्म बौद्ध लिखवाया था। फलस्वरूप 17, 89, 409 लोग यकायक जनगणना में बौद्ध होने से तथा बौद्ध बने दलितों को अनुसूचित जाति की सुविधा से वंचित करने से चुनाव आयोग द्वारा अनुसूचित जाति को आरक्षित सीटों में कटौती कर दी गयी।

संविधान की धारा 25 के द्वारा भारत के हिन्दू, सिख, जैन तथा बौद्ध, हिन्दू कानून के दायरे में आते हैं और जबकि दलितों का बौद्ध मात्र हो जाने से कोई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक परिवर्तन एकाएक नहीं हो पाया था फिर भी उनके मात्र बौद्ध बन जाने से उन्हें राजनीतिक, नौकरी में आरक्षण से वंचित होना पड़ा था। करीब 34 वर्षों बाद जनता दल सरकार ने, कांग्रेस सरकार द्वारा आरक्षण वंचित बौद्धों को 1990 में आरक्षण से लाभान्वित हेतु अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा था परंतु इतना सब होने पर भी बौद्ध आरक्षण के लाभ से वंचित है। उन्हें उनका न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि बौद्ध होने से पूर्ण उन्हें सारी सुविधा प्राप्त थी। बौद्धों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग से आरक्षण नौकरी तथा विधान सभा एवम् लोकसभा में दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय को दृष्टि से यह न्यायसंगत होना और यही दृष्टिकोण यदि भविष्य में दलित ईसाई को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है तो अपनाया जाए। लेकिन वास्तव में हुआ यह है कि जो लोग अनुसूचित जाति से बौद्ध बने थे उस हिसाब से सरकार ने लोक सभा, विधान सभा की सीटें तो तत्काल कम कर दीं। और अब जब को अनुसूचित जाति में 1990 में बौद्धों को शामिल किया गया है फिर भी जो सीटें कम दी गयी थी वे सीटें अनुसूचित जाति की बाकी सीटों में अब तक जोड़ी नहीं जा सकती है और बौद्ध लोकसभा की सभी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 78 सीटों पर चुनाव लड़ने के अधिकारी बन चुके हैं। यह दलित अनुसूचित जाति के हितों पर दिन दहाड़े कुठाराघात है क्योंकि दलितों के बौद्ध बनते ही अनुसूचित जाति की लोकसभा की 3 सीटें आरक्षण से हटाकर सामान्य कर दी थी और बौद्धों को एस.सी. लिस्ट में शामिल करने के उपरान्त भी वह तीन सामान्य सीटें आज तक पुनः आरक्षित की नहीं गयी है। उसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा की 98 सीटें जो दलित बौद्ध होने से सामान्य कर दी थीं वे भी आज तक आरक्षित नहीं की जा सकी हैं और दूसरी ओर कटौती हुई सीटों पर चुनाव लड़ने के हकदार अब अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के साथ–साथ दलितों से बौद्ध बने उम्मीदवार भी हो गये हैं। इसका सीधा सरल अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति के अधिकारों में कटौती की जा रही है। और बौद्धों को तथा अबौद्ध अनुसूचित जाति में हिस्से को लेकर अब आपस में लड़ाया जा रहा है, उनमें आपसी दुश्मनी के बीज बोए जा रहे हैं। क्योंकि 1956 से लेकर 1990 तक अनुसूचित जाति से बौद्ध बना आदमी आरक्षण की सुविधा से वंचित था और वह आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता था इस तरह आरक्षित सीटों पर हिस्सेदारी के विषय में बौद्ध और अबौद्ध अनुसूचित जाति के भाइयों का आपस में कोई मन मुटाव नहीं था। मेरी दृष्टि से 1990 के बाद ही आपसी बैर का सूत्रपात हुआ है।

महाराष्ट्र का कर्जत विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उस कर्जत संविधान सभा क्षेत्र से 156 को बौद्ध बने दादा साहब रूपवते के सुपुत्र ॲड् प्रेमानन्द रूपवते ने 1991 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। जबकि वह बौद्ध हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो कर्जन एवम् अन्य जो 16 सीटें आरक्षित हैं, वह 1962 से लेकर 1990 तक केवल अबौद्ध अनुसूचित जाति हेतु ही आरक्षित रही है। और अन्य जो 18 आरक्षित सीटें थीं वह दलितों के बौद्धों का आरक्षित ना ले जाए। इसी तरह लोकसभा की जो तीन सीटें कर दी गयी हैं वे भी जब तक आरक्षित नहीं हो जाती तब तक बौद्धों का नैतिक अधिकार आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का नहीं बनता है। ऐसा मुझे लगता है भले ही उन्होंने आरक्षण की कानूनी लड़ाई जीत ली है। •

(नोट–यह लेख 1986 में लिखा गया था।)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी का अद्वितीय ग्रन्थ आज ही मंगायें

Book of Record–Who's Who International and National Awardees of Bharatiya Dalit Sahitya Akademi

300 पृष्ठों का यह अकादमी का ऐतिहासिक, अद्वितीय, अनूठा ग्रन्थ है जिसमें अकादमी के गत 36 सालों में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय नेशनल अवार्डियों का वर्षवार विवरण दिया गया है। इस ग्रन्थ का कान्टेंट (सन्दर्भ) भी A to Z–क्रमानुसार दिया गया है जहां कोई भी नेशनल या इन्टरनेशनल अवार्डी अपना नाम देखकर तुरन्त क्रमवार जान सकता है कि उसे सम्मेलन में किस वर्ष में कब, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अकादमी का वह सम्मेलन कब, कहां आयोजित हुआ और उस सम्मेलन में किस मुख्य अतिथि द्वारा उसे 'अवार्ड' देकर सम्मानित किया गया।

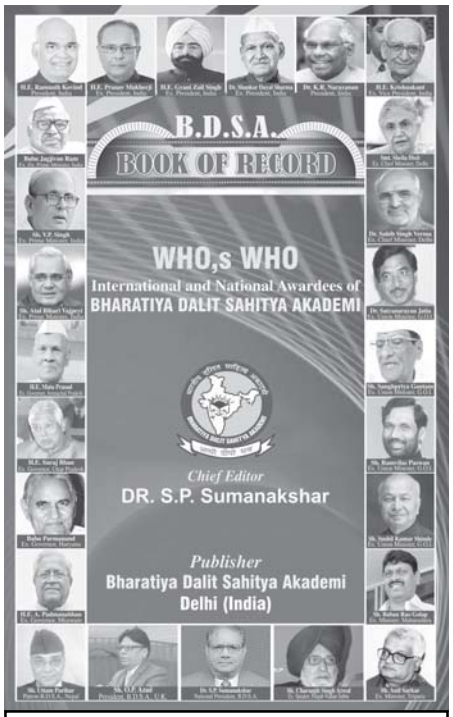

- **Total References of Personalities- about 2500**
- **Page : 300**
- **Price : Rs. 500/- Send by M.O./D.D.**

इस ग्रन्थ में प्रत्येक अवार्डी का उसे अलग–अलग अवार्डों से सम्मानित होने का भी वर्षवार विवरण है साथ ही उन्हें एक, दो, तीन, चार 'स्टार' प्रदान कर उनके सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों के योगदान को दर्शाया गया है।

इस ऐतिहासिक, अद्वितीय, अनोखे ग्रन्थ के मुख पृष्ठ पर उन सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री व समाजसेवियों के चित्र दिये गये हैं जिन्होंने गत 36 वर्षों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के साथ–साथ सम्मेलन में प्रतिभागी प्रतिनिधियों को अपने उद्बोधन से राष्ट्र सेवा में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें 'अवार्ड' से सम्मानित कर उनके रचनात्मक कार्यों व योगदान की सराहना की।

अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित इस अद्वितीय ग्रन्थ में ढाई हजार के लगभग महानुभावों का विवरण दर्ज है जिनमें अवार्डियों के अलावा सम्मेलन के मुख्य अतिथि और अकादमी के संरक्षक, मार्गदर्शक और सहयोगी शामिल हैं।

दलित साहित्य पर शोधकर्त्ताओं, साहित्यकारों, समाजसेवियों के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य है, पठनीय है और सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में संग्रहणीय है। बाबा साहब डा. अम्बेडकर को समर्पित इस अनमोल ग्रन्थ का मूल्य 500 रुपये है जिसे आर्डर देकर अकादमी कार्यालय से मंगाया जा सकता है।

इस ग्रन्थ के सम्पादक, संरक्षक, प्रकाशक अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर हैं जिनके कई वर्षों के परिश्रम के बाद इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो सका। ग्रन्थ मंगाने के लिए सम्पर्क करें–

भारतीय दलित साहित्य अकादमी
बी–3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन–I, दिल्ली-110009
मोबाइल :
9891989175, 9810278936

समाज का गणित

जाति के आधार पर जनगणना की मांग पुरानी है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर इस मांग को लेकर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। मगर बिहार में जनता दल (यू) और राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा सरकार ने इस काम को पूरा किया और इसके निकर्षों पर आधारित आंकड़े जारी कर दिए। इसके मुताबिक, बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी तिरसठ फीसद है। अनुसूचित जातियों की संख्या 19.65 फीसद और अनुसूचित जनजाति की 1.68 फीसद है। सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के लोगों की तादाद 15.52 फीसद है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल हिंदू आबादी 81.9 फीसद और मुस्लिम 17.7 फीसद है। यानि जाति आधारित जनगणना के बाद राज्य में अलग–अलग जातियों और धर्मों के लोगों की संख्या के बारे में अब तस्वीर साफ हो गई है। इसे लेकर राज्य सरकार की दलील है कि इसके जरिए सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिली है और इसी के आधार पर अब सभी सामाजिक वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किया जाएगा।

जाहिर है, सरकार के दावे के आलोक में देखें तो जाति आधारित जनगणना के आंकड़े आने के बाद सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी का सवाल हल करने और जरूरतमंद तबकों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। मगर यह देखने की बात होगी कि इसका उपयोग विकास और उत्थान में कितना होगा और कितना इसका इस्तेमाल राजनीतिक मुद्दे के तौर पर किया जाएगा। दरअसल, यह सवाल अक्सर उठाया जाता रहा है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित सरकारी नीतियों में जिन तबकों की हिस्सेदारी तय की जाती है, उनके बीच के कुछ समर्थ समूह उसका लाभ उठा लेते हैं और एक बड़ा हिस्सा वंचित रह जाता है। खासकर पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी के संदर्भ में यह दावा किया जाता रहा है कि अब इस तबके की आबादी काफी ज्यादा हो गई है और इसके मुकाबले इन्हें मिलने वाला आरक्षण काफी कम है।•

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009